संशोधन

संख्या- 309 /2024/ 2404 /चार-2024-1834824

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 21 अगस्त, 2024

विषय- भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा कजरी महोत्सव का आयोजन कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 285 /2024 /2167/ चार- 2024-1834824 दिनांक 01 अगस्त, 2024 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 285 /2024 /2167/ चार- 2024-1834824 दिनांक 01 अगस्त, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में उक्त शासनादेश संख्या- 285 /2024 /2167/ चार- 2024-1834824 दिनांक 01 अगस्त, 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 01 अगस्त, 2024 के प्रस्तर-2 में अंकित '**वित्तीय वर्ष 2024-25 में हरिहरपुर**, **आजमगढ़ में तीन दिवसीय कजरी महोत्सव के आयोजन हेतु**' के स्थान पर '**वित्तीय वर्ष 2024-25 में हरिहरपुर**, **आजमगढ़ में तीन दिवसीय कजरी महोत्सव तथा अन्य स्थानों पर कजरी महोत्सव के आयोजन हेतु**' पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश संख्या- 285 /2024 /2167/ चार- 2024-1834824 दिनांक 01 अगस्त, 2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, आजमगढ़।
3- कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संस्था प्रमुख, हरिहरपुर घराना संगीत संस्थान, आजमगढ़।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in